न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—जीसीएमएस नं. 2022/333

1. कमली पुत्री हरीराम पत्नी रामस्वरूप, जाति गुर्जर निवासी ग्राम दूदावास, तहसील पावटा, जिला जयपुर, राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पावटा जिला जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी पावटा, जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. **श्री विवेक शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 21.09.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीया ग्राम दूदावास तहसील पावटा जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1090/884, 885, 886 रकबा क्रमशः 0.095 हैक्टयर, 0.24 हैक्टयर, 0.44 हैक्टयर, कुल रकबा 0.775 हैक्टयर (7750 वर्गमीटर) की खातेदार काश्तकार प्रार्थिया है तथा प्रार्थिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पावटा जयपुर के समक्ष उक्त वर्णित कृषि भूमि को औधौगिक प्रयोजनार्थ (स्टोन क्रेशर) संपरिवर्तन करवाने हेतु दिनांक 15.04.2022 को ऑनलाईन आवेदन पत्र संख्या एलसी/ 2022—23/ 122341 प्रस्तुत किया था तथा उपखण्ड अधिकारी पावटा जयपुर द्वारा रूपान्तरण हेतु आवश्यक रिपोर्ट बाबत निर्धारित चैकलिस्ट में तहसीलदार पावटा से रिपोर्ट ली गई जिसमें तहसीलदार पावटा द्वारा प्रकरण को संपरिवर्तन योग्य मानते हुए दिनांक 25.05.2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई किन्तु प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पावटा द्वारा दिनांक 09.06.2022 को अवैधानिक तौर पर एवं संपरिवर्तन नियमों के पूर्णतया विपरित जाकर प्रार्थीया का आवेदन पत्र खारिज फरमा दिया जो आदेश विधि विरूद्ध एवं कानून की मंशा के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्राधिकृत उपखण्ड अधिकारी पावटा जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षैत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम 2007 के पूर्णतया विपरित होने से निरस्तनीय है क्योंकि उक्त नियमों के नियम 4 में यह

P.T.O.

संभागीय आयुक्त

प्रावधान है कि राजस्व ग्राम की आबादी की बाहरी सीमा से 1.5 किलोमीटर की परिधि में स्थिति कृषि भूमि का संपरिवर्तन औद्यौगिक योजनार्थ (स्टोन क्रेशर) नही किया जा सकेगा परन्तु उक्त नियम को राजस्व(ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प.9(98)राज–6/2014/01 दिनांक 28.05.2016 जारी कर भली भांति स्पष्ट किया है कि उक्त 1.5 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य राजस्व ग्राम की आबादी की बाहरी सीमा से है, ना की उस ग्राम की ढाणी या मंजरे की बाहरी सीमा से है, अपीलार्थीया द्वारा संपरिवर्तन चाही गई भूमि निकटतम राजस्व ग्राम दूदावास से 2100 मीटर तथा ग्राम टोरडा गुर्जरान से 1800 मीटर दूर स्थित है फिर भी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्व ग्राम दूदावास में स्थित ढाणी ''काली बाई की ढाणी'' से 700 मीटर की दूरी पर भूमि को स्थित मातने हुए संपरिवर्तन का आवेदन अपीलाधीन आदेश के द्वारा खारिज कर किया गया है, जो उक्त नियम 4 के पूर्णतया विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ''काली बाई की ढाणी'' कोई राजस्व ग्राम नही है तथा राजस्व ग्राम दूदावास की ढाणी मात्र है तथा इसकी आबादी को संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 4 के अन्तर्गत दूरी हेतु आधार नही माना जा सकता है फिर भी प्राधिकृत अधिकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा विधि विरूद्ध जाकर तथा मनमाना अपीलाधीन आदेश पारित कर प्रार्थीया का संपरिवर्तन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया गया है जो प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पावटा जयपुर उक्त नियम से भलीभांति परिचित थे इसके बाजवूद भी दुर्भावना के कारण अपीलार्थीया को क्षति पहॅूचाने की गरज से संपरिवर्तन प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है तथा उक्त आदेश अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीया की अपील स्वीकार फरमायी जावें तथा ग्राम दूदावास तहसील पावटा जिला जयपुर स्थिति कृषि भूमि खसरा नम्बर 1090/884, 885, 886 रकबा क्रमशः 0.095 हैक्टयर, 0.24 हैक्टयर, 0.44 हैक्टयर कुल रकबा 0.775 हैक्टयर (7750 वर्गमीटर) हेतु संपरिवर्तन किये जाने के आदेश पारित किये जावें तथा प्राधिकृत अधिकारी पावटा द्वारा नियम विरूद्ध आवेदन पत्र को खारिज किये जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि उक्त वादग्रस्त आराजी की आबादी से दूरी राज्य सरकार के आदेशानुसार 1.50 किलोमीटर से कम होने से उक्त वादग्रस्त आराजी का संपरिवर्तन किया जाना वर्जित होने से ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का कानूनन परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी कालीबाई की ढाणी से 700 मीटर की दूरी पर स्थिति होना मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जबकि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 28.04.2016 द्वारा संपरिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों में आबादी से डेढ़ किलोमीटर दूरी की गणना किस प्रकार की जावें के सम्बन्ध में चाहे गये मार्गदर्शन बाबत राज्य सरकार द्वारा उक्त संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की गई है जिसके अनुसार ड़ेढ किलोमीटर दूरी का तत्पर्य राजस्व ग्राम की आबादी की बाहरी सीमा से है, ना कि उस ग्राम की ढाणी या मंजरे की बाहरी सीमा से है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2022 विधि सम्मत नही है तथा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 28.04.2016 की मंशा के विपरित है प्रतीत होता है जिसे कानूनन उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर राज्य सरकार के परिपत्र प.9(98)राज–6/2014/1 दिनांक 28.04.2016 के अनुसरण में उक्त भूमि के संपरिवर्तन की पुनः विधि सम्मत कार्यवाही की जावें।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।